रजिस्ट्री सं. डीएल (एन)-04/0007/2003--05 REGISTERED No. DL(N)—04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 32] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 9—अगस्त 15, 2014 (श्रावण 18, 1936)
No. 32] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 9—AUGUST 15, 2014 (SRAVANA 18, 1936)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

राष्ट्रीय आवास बैंक

नई दिल्ली, दिनांक **13 जून 2014**

सं. एनएचबी.एचएफसी.निर्देश.11/सीएमडी/2014—राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987 का 53) की धारा 30ए और 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों एवं इस संबंध में सामर्थ्यकारी सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय आवास बैंक ने सार्वजनिक हित में और संतुष्ट होकर यह आवश्यक समझा कि आवास वित्त प्रणाली को देश के लाभार्थ विनियमित करने में सशक्त होने के प्रयोजनार्थ, कि ऐसा करना आवश्यक है, एतद् द्वारा निर्देश देता है कि आवास वित्त कंपनी (रा.आ.बैंक) निर्देश, 2010 (यहां के बाद मुख्य निर्देश के रूप में संदर्भित), तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा, नामत:

1. **अनुच्छेद 2 का संशोधन**

प्रमुख निर्देशों के अनुच्छेद 2 में उप अनुच्छेद (1) में-

खंड (ई) "भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर एवं अधिग्रहण का पर्याप्त अभिग्रहण) विनियम, 1997", शब्दों में "भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर एवं अधिग्रहण का पर्याप्त अभिग्रहण) विनियम, 2011", शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

2. **अनुच्छेद 19 का संशोधन**

प्रमुख निर्देशों के अनुच्छेद 19 निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत:

"आवास वित्त कंपनियों के नियंत्रण के अधिग्रहण अथवा हस्तांतरण हेतु राष्ट्रीय आवास बैंक की पूर्व अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता "

19. राष्ट्रीय आवास बैंक की पूर्व लिखित अनुमति हेतु निम्नलिखित आवश्यक होगा -

(i) आवास वित्त कंपनी के नियंत्रण का कोई भी अधिग्रहण अथवा अभिग्रहण या तो शेयरों द्वारा किया जाए या अन्यथा;

(ii) आवास वित्त कंपनी का किसी अन्य संस्था के साथ कोई भी विलय/एकीकरण अथवा किसी अन्य संस्था का आवास वित्त कंपनी के साथ कोई भी विलय/एकीकरण जिससे आवास वित्त कंपनी का नियंत्रण अभिग्रहणकर्ता/किसी अन्य संस्था को प्राप्त होता है;

(iii) आवास वित्त कंपनी का किसी अन्य संस्था के साथ कोई भी विलय/एकीकरण अथवा किसी संस्था का आवास वित्त कंपनी के साथ कोई भी विलय/एकीकरण जिसके परिणामस्वरूप आवास वित्त कंपनी की चुकता पूंजी के 10 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी का अभिग्रहण/हस्तांतरण होता है;

(iv) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 391-394 के तहत अथवा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230-233 के तहत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों अथवा अन्य कंपनियों में विलय अथवा एकीकरण के लिए न्यायालय/न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) में आवेदन से पहले भी राष्ट्रीय आवास बैंक की पूर्व अनुमति आवश्यक है।

मोहम्मद मुस्तफा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

NATIONAL HOUSING BANK

New Delhi, the 13th June 2014

No. NHB.HFC.DIR.11 /CMD/2014—In exercise of the powers conferred by sections 30A and 31 of the National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987) and of all the powers enabling it in this behalf, the National Housing Bank, having considered it necessary in the public interest, and on being satisfied that for the purpose of enabling it to regulate the housing finance system of the country to its advantage, it is necessary so to do, hereby directs that the Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2010 (hereinafter referred to as the principal Directions) shall, with immediate effect, be amended in the following manner, namely-

1. Amendment of paragraph 2

In paragraph 2 of the principal Directions, in sub-paragraph (1),-

In clause (e), for the words "Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 1997", the words "Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011", shall be substituted.

2. Amendment of paragraph 19

Paragraph 19 of the principal Directions shall be substituted by the following, namely:-

"Requirement to obtain prior approval of National Housing Bank for acquisition or transfer of control of housing finance companies

19. The prior written permission of the National Housing Bank shall be required for-

(i) any takeover or acquisition of control of a housing finance company, whether by acquisition of shares or otherwise;

(ii) any merger/amalgamation of a housing finance company with another entity or any merger/amalgamation of an entity with a housing finance company that would give the acquirer/another entity control of the housing finance company;

(iii) any merger/amalgamation of a housing finance company with another entity or any merger/amalgamation of an entity with a housing finance company which would result in acquisition/transfer of shareholding in excess of 10 per cent of the paid up capital of the housing finance company.

(iv) prior written approval of the National Housing Bank would also be required before approaching the Court or Tribunal under Section 391-394 of the Companies Act, 1956 or Section 230-233 of Companies Act, 2013 seeking order for mergers or amalgamations with other companies or housing finance companies."

MOHAMMAD MUSTAFA
Chairman and Managing Director